भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5226 का उत्तर

रेल यात्रा बीमा के लिए नीति

5226. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल यात्रा बीमा का लाभ केवल ऑनलाइन टिकट बुक करके ही प्राप्त किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति बनाने का विचार है कि काउंटर पर टिकट बुक कराने वाले तथा सामान्य डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बीमा का लाभ मिले; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले कन्फर्म/आरएसी यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना उपलब्ध है। इस योजना के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का विकल्प दिया जाता है। यह योजना पूरी तरह से वैकल्पिक प्रकृति की है। कोई भी यात्री जो बीमा लाभ लेना चाहता है, वह टिकट बुक करते समय अपने विवेक से इस योजना का विकल्प चुन सकता है। यह योजना उन यात्रियों के

s.k

लिए उपलब्ध है जो आईआरसीटीसी के माध्यम से ई-टिकट बुक करते हैं और यह उन लोगों को अतिरिक्त बीमा कवर प्रदान करती है जिन्होंने इसके विकल्प का चयन किया है और प्रीमियम का भुगतान किया है।

सभी रेल यात्रियों को, चाहे वे ऑनलाइन या आरक्षण काउंटर से टिकट बुक करें तथा सभी अनारक्षित यात्रियों को रेल अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रेल दुर्घटना/अप्रिय घटना के पीड़ित यात्रियों को तत्काल राहत के रूप में अनुग्रह राशि भी दी जाती है।

******

s.k